

राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण

बिहार, पटना

आर ब्लॉक रोड नं 2 दारोगा प्रो राय पथ, पटना- 800001, दूरभाष : 2506394, 2506395 (फैक्स)

पत्रांक 774

दिनांक 30.7.2015

प्रेषक,

OSD (MLC)

विधु भुषण पाठक
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
निबंधक

सामान्य प्रशासन विभाग

प्राप्ति

8977 (1) मू३३

30 JUL 2015

सेवा में,

सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना।

सं०.....

विषय :- संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण हेतु सूचनाओं का प्रेषण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान सचिव - सह- सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 002 दिनांक - 19.05.2015 के आलोक में संविदा पर नियोजित कर्मियों के नियमितीकरण पर विचारण हेतु राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना में संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् है :- श्री अविनाश कुमार

1	प्रत्येक पद जिस नियोजन किया गया है, का पदनाम	कार्यपालक सहायक (श्री अविनाश कुमार)
2	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या	01 (एक)
3	किस योजना/ परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया नाम था तथा क्या यह योजना केन्द्रीय या राज्य की योजना थी।	बिहार प्रशानिक सुधार मिशन सोसाइटी, 2009 द्वारा में वित्त संपोषित परियोजना तथा 2014 में बिहार सरकार का सर्पोट युनिट योजना।
4	नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह 'ख' 'ग' या 'घ')	पद श्रेणी -ग
5	क्या यह पद स्वीकृत था ? अगर हाँ तो स्वीकृत्यादेश/ पद सृजन आदेश	हाँ (अविनाश कुमार बेंच क्लर्क के पद के विरुद्ध पेशकारी कार्य कर रहे हैं)
6	क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं	हाँ
7	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय)	प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1796 दिनांक-04-03-2011 एवं पत्रांक-226 दिनांक-12-01-2012, बिहार प्रशानिक

		<p>सुधार मिशन सोसाइटी का विज्ञापन ,जिला पदाधिकारी पटना के पत्रांक-2403 दिनांक 27-08-2012 के द्वारा इनकी सेवा राज्य आयोग को उपलब्ध करायी गयी ।</p> <p>अवधि विस्तार:-1:-जिला पदाधिकारी के पत्रांक-3474 दिनांक-03-10-2013 द्वारा अगले एक वर्ष के लिए 2:- जिला पदाधिकारी पटना के पत्रांक-2683 दिनांक-07-10-2014 द्वारा 23-09-2014 से 22-09-2015 तक के लिए ।(छाया प्रति संलग्न)</p>
--	--	--

8	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया	लिखित एवं टंकण साक्षात्कार
9	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता	मैट्रिक,सी0 आई0 सी0 (ये स्नातक पास हैं)
10	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं	हैं,(अहर्ता का निर्धारण जिला पदाधिकारी,पटना द्वारा किया गया है)
11	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं।	हैं(जिला पदाधिकारी,पटना सक्षम पदाधिकारी हैं)
12	नियोजन हेतु नियुक्ति/ नियोजन पदाधिकारी।	जिलाधिकारी,पटना
13	उपर्युक्त नियुक्ति/ नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं।	हैं(जिला पदाधिकारी,पटना से संबंधित है)
14	नियोजन पत्र/ अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)	संलग्न
15	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि।	एक वर्ष
16	प्रत्येक सेवाधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक।	विभागीय कार्य की आवश्यकता को देखकर एवं कार्य संतोषप्रद होना ।
17	प्रत्येक सेवाधि विस्तार आदेश का नमूना।	संलग्न(पत्रांक-3474 दिनांक-03-10-2013 एवं पत्रांक-2683/स्था0 दिनांक-07-10-2014 की छायाप्रति)
18	प्रत्येक पदवार मानदेय/ पारिश्रमिक/वेतन/ब्यदेवसपकजमक चंल इत्यादी की भुगतयेय राशि।	रू0 9000/-(नौ हजार रुपये प्रतिमाह)
19	जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी।	व्यवसायिक एवं विशेष सेवार्थें मद।

20	जिस नियमावली/ संकल्प/परिपत्र के अर्न्तगत इन पदों का नियोजन की प्रक्रिया हुई, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)।	पत्रांक-2401 दिनांक-18-07-2007 की छायाप्रति
----	--	---

अनु-यथोक्त

विश्वासभाजन,

ह0/

निबंधक

राज्य आयोग

ज्ञापांक..... 774.....

दिनांक..... 30-7-15.....

प्रतिलिपि अनु के साथ प्रधान सचिव - सह- सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक - 002 दिनांक - 19.05.2015 के प्रसंग में तथा जिला पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।


निबंधक 307hms

राज्य आयोग



****ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।**